संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 1–जी / विज्ञप्त / सेल–2 / 2018 /   भोपाल, दिनांक   /   /2017

/ / आदेश / /

संचालनालय के आदेश क्रमांक 1–जी / विज्ञप्त / सेल–2 / 2017 / 1065–66 दिनांक 22.02.2017 के तहत डॉ0 राजेन्द्र कुमार अहिरवार, चिकित्सा अधिकारी, जिला टीकमगढ को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, वर्धा नागपुर (महारष्ट) से स्नात्कोत्तर पी.जी.डिग्री पाठ्यक्रम एम.डी. **(community medicine)** में 3 वर्ष का डिप्लोमा करने हेतु पाठ्यक्रम आरंभ होने के दिनांक से आगामी 02 वर्ष का अध्ययन अवकाश की स्वीकृति / अनुमति प्रदान की गई थी।

डॉ0 राजेन्द्र कुमार अहिरवार, चिकित्सा अधिकारी, जिला टीकमगढ द्वारा 01 वर्ष के अवकाश का निराकरण करने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त पाठ्यक्रम 3 वर्ष का होने के कारण विचारोपरांत डॉ0 राजेन्द्र कुमार **अहिरवार, चिकित्सा अधिकारी, जिला टीकमगढ को अध्ययन अवकाश नियम–45 के अनुसार 4 माह कुल 120 दिन अध्ययन अवकाश एवं अवकाश खाते अनुसार 211 दिवस का अर्जित अवकाश तथा 96 अर्द्धवेतनिक अवकाश में से 34x2 = 68 दिवस का अर्द्धवेतनिक अवकाश इस तरह कुल 365 दिवस (01 वर्ष) का अवकाश स्वीकृत किया जाता है।**

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित–

हस्ता/-
(विवेक श्रोत्रिय)
अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 1–जी / विज्ञप्त / सेल–2 / 2017 / 1673   भोपाल, दिनांक 16/10/2017

प्रतिलिपिः–   सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
02. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
03. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाये, सागर संभाग सागर, मध्यप्रदेश।
04. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला टीकमगढ,म0प्र0
05. जिला कोषालय अधिकारी, जिला टीकमगढ, म0प्र0
06. डॉ0 डॉ0 राजेन्द्र कुमार अहिरवार, चिकित्सा अधिकारी, जिला टीकमगढ, म0प्र0 की ओर पालनार्थ।
07. प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।

15/10/18

अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

क्रमांक/नर्सिग/सेल–3/2018/ 439 भोपाल दिनांक 14.8.18

आदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये द्वारा नर्सिंग संवर्ग की स्टॉफ नर्स को एम.एस.सी नर्सिंग प्रशिक्षण हेतु चयन किया गया है। कर्मचारियों द्वारा 05 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरान्त नियमानुसार निम्न कर्मचारियों को पात्रतानुसार उनके नाम के सम्मुख दर्शायी गई अवधि का अध्ययन अवकाश की स्वीकृति दी जाती है।

क्र	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना स्थल	अध्ययन अवकाश की पात्रता/स्वीकृत अध्ययन अवकाश
1	दीपा राठौर	जिला चिकि मुरैना	02 वर्ष (09.11.2016 से 08.11.2018)
2	नेहा शर्मा	जिला चिकि शाजापुर	02 वर्ष (26.10.2017 से 25.10.2019)
3	शिल्पी लता कुशवाहा	जिला चिकि शाजापुर	02 वर्ष (24.10.2017 से 25.10.2019)
4	सुरेखा डढोरे	जिला चिकि भोपाल	02 वर्ष (23.10.2017 से 22.10.2019)
5	सविता मिश्रा	जिला चिकि भोपाल	02 वर्ष (23.10.2017 से 22.10.2019)
6	दिव्या कुशवाहा	जिला चिकि भोपाल	02 वर्ष (23.10.2017 से 22.10.2019)
7	प्रीति मिश्रा	जिला चिकि इन्दौर	02 वर्ष (26.10.2017 से 25.10.2019)
8	श्वेता उपाध्याय	जिला चिकि रायसेन	02 वर्ष (17.10.2017 से 16.10.2019)
9	श्रीमती विनिता कुशवाहा	जिला चिकि रायसेन	02 वर्ष (01.11.2017 से 31.10.2019)
10	अर्पणा पटेल	सी.एच.सी गुढ जिला रीवा	02 वर्ष (18.11.2017 से 17.11.2019)

उपरोक्तानुसार एम.एस.सी नर्सिग प्रशिक्षण हेतु अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जाता है

(रूही खान)
अपर संचालक (नर्सिंग)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
मध्यप्रदेश
भोपाल दिनांक

पृ.क्रमांक/नर्सिग/सेल–3/2018/
प्रतिलिपि :– सूचनार्थ प्रेषित।

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक मुरैना, शाजापुर, भोपाल, इन्दौर, रायसेन, रीवा म.प्र।
2. संबधित कर्मचारियो की सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
3. प्रभारी एम.आई.एस स्थानीय कार्यालय की ओर स्वास्थ्य विभाग की बेवसाईट पर प्रसारित करने हेतु।

अपर संचालक (नर्सिंग)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
मध्यप्रदेश

D:\savita madam\letter for principal peoples nursing college.doc

Mail

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/4/शिका./अना.अनु/फा.न.जावक–55/137 — भोपाल दिनांक 11 /07/2018,

आदेश

म.प्र.शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, के आदेश क्रमांक एफ 13–38/2009/17/मेडि–1,दिनांक 21.01.2010, द्वारा डॉ0 (श्रीमती) अर्चना मिश्रा, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोलारस जिला, शिवपुरी को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ग्वालियर के अधीन उपस्थित होने की अनुमति प्रदान कर अनाधिकृत अनुपस्थिति अवधि का निराकरण पृथक से करने का उल्लेख किया गया था।

डॉ0 (श्रीमती) अर्चना मिश्रा, चिकित्सा अधिकारी द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ग्वालियर के अधीन दिनांक 27.01.2010 को कार्यभार ग्रहण किया गया, डॉ0 (श्रीमती) अर्चना मिश्रा की अनाधिकृत अनुपस्थिति अवधि दिनांक 10.10.2003 से 26.01.2010 तक को अकार्य दिवस "डायजनॉन" मान्य किये जाने की सहमति उनके द्वारा उचित माध्यम से प्रस्तुत की गई।

अतः डॉ0 (श्रीमती) अर्चना मिश्रा वर्तमान में राज्य स्वास्थ्य प्रबंधन एवं संचार संस्थान, ग्वालियर में संकाय सदस्य के रूप में पदस्थ है। उनके अनाधिकृत अनुपस्थिति अवधि दिनांक 10.10.2003 से 26.01.2010 तक (कुल 6 वर्ष तथा 108 दिवस) को अकार्य दिवस (**Dies-non**) मान्य किया जा कर प्रकरण समाप्त किया जाता हैं।

(स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा आदेशित)

(डॉ0 जे.पी.खरे)
संयुक्त संचालक(शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

पृ.क.क्रमांक/4/शिका./अना.अनु./फा.न.जावक–55/ भोपाल दिनांक /07/2018

प्रतिलिपिः–

1. सचिव,म.प्र.शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. निज सहायक,स्वास्थ्य आयुक्त स्थानीय कार्यालय।
3. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें,गवालियर।
4. संचालक, राज्य स्वास्थ्य प्रबंधन एवं संचार संस्थान, जिला ग्वालियर।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गवालियर/शिवपुरी।
6. उप संचालक,(विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल)स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यलय।
7. डॉ0 (श्रीमती) अर्चना मिश्रा, संकाय सदस्य, राज्य स्वास्थ्य प्रबंधन एवं संचार संस्थान जिला ग्वालियर।
8. प्रभारी एम.आई.एस.सेल,स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता हैं कि आदेश की प्रति विभागीय बेबसाइट पर अपलोड करें।
9. स्टॉक फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डॉ0 जे.पी.खरे)
संयुक्त संचालक(शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 1–जी / विज्ञप्त / सेल–2 / 2018 / भोपाल, दिनांक / / 2018

// आदेश //

संचालनालय के आदेश क्रमांक 4724 दिनांक 19.12.2017 के द्वारा डॉ0 हंसा पाटीदार, स्त्रीरोग विशेषज्ञ, सिविल अस्पताल सनावद, जिला खरगोन को कार्य पर उपस्थित कराये जाने की अनुमति प्रदान करते हुये अवकाश प्रकरण का निराकरण पृथक किय जाने का लेख किया गया था।

अतः डॉ0 हंसा पाटीदार, स्त्रीरोग विशेषज्ञ, सिविल अस्पताल सनावद, जिला खरगोन का दिनांक 29.04.2016 से 19.12.2017 तक की अवधि को अवैतनिक अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

<u>स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमादित–</u>

हस्ता/-
(विवेक श्रोत्रिय)
अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

पृ0 क्रमांक / 1–जी / विज्ञप्त / सेल–2 / 2018 / 1055 भोपाल, दिनांक 11 / 7 / 2018

प्रतिलिपिः–

01. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इन्दौर संभाग इन्दौर,म0प्र0।
02. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला खरगोन, म0प्र0।
03. डॉ0 हंसा पाटीदार, स्त्रीरोग विशेषज्ञ, सिविल अस्पताल सनावद, जिला खरगोन की ओर पालनार्थ।
04. प्रभारी एम.आई.एस, स्थानीय कार्यालय।

10/7/18
अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/1–जी/विज्ञप्त/सेल–2/2018/ भोपाल, दिनांक / /2018

// आदेश //

मान0 उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक डब्लू0पी0 5321/2010 में डॉ0 रचना शुक्ला विरूद्व मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में पारित निर्णय पारित निर्णय दिनांक 08.01.2013 एवं डब्लू0पी0 क्रमांक 6868/2016 में पारित निर्णय दिनांक 03.11.2017 तथा अवमानना प्रकरण क्रमांक 732/2018 में दिये गये निर्देश के परिपेक्ष्य में मध्य प्रदेश अवकाश नियम 1977 के नियम–42 में निहित प्रावधानानुसार पूर्ण सेवाकाल हेतु 24 माह का अध्ययन अवकाश एवं नियम–45 में निहित प्रावधानानुसार 4 माह के अन्य अनुमत अवकाश अवधि को अध्ययन अवकाश स्वीकारते हुये कुल 28 माह का वेतन भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अवकाश अवधि का विवरण निम्नानुसार है:–

01. दिनांक 01.07.2011 से 30 जून 2013 तक 24 माह (02 वर्ष) का अध्ययन अवकाश।
02. दिनांक 01 सितम्बर 2013 से 31 दिसम्बर 2013 तक 04 माह का अध्ययन अवकाश।
03. दिनांक 01 जनवरी 2014 से 31 अक्टूम्बर 2015 तक की अवधि का स्टायफंड (नियमानुसार) संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, विभाग द्वारा देय होगा।

<u>स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित–</u>

(विवेक श्रोत्रिय)
अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

क्रमांक/1–जी/विज्ञप्त/सेल–2/2018/1035 भोपाल, दिनांक 29/6/2018

प्रतिलिपि:– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. डिप्टी रजिस्ट्रार, मान0 उच्च न्यायालय, जबलपुर म0प्र0।
02. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
03. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
04. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, म0प्र0
05. उप संचालक, लीगल, स्थानीय कार्यालय।
06. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला जबलपुर को निर्देशित किया जाता है, की यह आदेश उपरोक्त न्यायालयीन/अवमानना प्रकरण में जवाबदावा प्रस्तुत कर प्रकरण विलोपित कर उपरोक्त स्वीकृत अवकाश को सेवा पुस्तिका में इन्द्राज करें।
07. जिला कोषालय अधिकारी, जबलपुर, म0प्र0।
08. डॉ0 रचना शुक्ला, चिकित्सा अधिकारी जिला जबलपुर की ओर पालनार्थ।
09. प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।

29/6/18

अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/1–जी/विज्ञप्त/सेल–2/2018/ भोपाल, दिनांक / /2018

// आदेश //

मान0 उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा न्यायालयीन प्रकरण कमांक डब्लू0पी0 572/2008(एस) डॉ0 वेदप्रकाश पटेल, सहायक शल्य चिकित्सक, जिला उमरिया विरूद्व मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 19.11.2014 तथा अवमानना प्रकरण क्रमांक 556/2018 में दिये गये निर्देश के परिपेक्ष्य में सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला उमरिया से प्राप्त प्रस्ताव/अभिमत के आधार पर डॉ0 वेदप्रकाश पटेल, सहायक शल्य चिकित्सक, जिला उमरिया की अनाधिकृत अनुपस्थित अवधि दिनांक 22.02.2006 से 25.09.2006 तक कुल 217 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित–

हस्ता/-

(विवेक श्रोत्रिय)
अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

क्रमांक/1–जी/विज्ञप्त/सेल–2/2018/987 भोपाल, दिनांक 22/6/2018

प्रतिलिपि:– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. डिप्टी रजिस्ट्रार, मान0 उच्च न्यायालय, जबलपुर म0प्र0।
02. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
03. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
04. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, म0प्र0
05. उप संचालक, लीगल, स्थानीय कार्यालय।
07. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला उमरिया को निर्देशित किया जाता है, की यह आदेश उपरोक्त न्यायालयीन/अवमानना प्रकरण में जवाबदावा प्रस्तुत कर प्रकरण विलोपित कर उपरोक्त स्वीकृत अवकाश को सेवा पुस्तिका में इन्द्राज करें।
08. जिला कोषालय अधिकारी, उमरिया, म0प्र0।
09. डॉ0 वेदप्रकाश पटेल, सहायक शल्य चिकित्सक, जिला उमरिया की ओर पालनार्थ।
10. प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।

22/6/19

अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

//आदेश//

भोपाल दिनांक /05/2018

क्रमांक/ /450/2017/सत्रह/मेडी–1 :: डॉ. डी.एन.गौतम (सेवानिवृत्त), तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सतना के विरुद्ध सिविल अस्पताल, मैहर जिला सतना में निरीक्षण के दौरान अव्यवस्थाओं को लेकर अनुशासनात्मक कार्यवाही के तहत् संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल के आदेश पृ.क्रमांक/4/शिका./सेल–1/सतना/2014/2882 दिनांक 05.11.2014 द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(4) के अंतर्गत एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने की शास्ति अधिरोपित की गई ।

2/– इसी प्रकार दिनांक 04.09.2014 को सतना जिले की विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं का संचालनालय स्तर से वरिष्ठ अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान अनेक गंभीर अनियमिततायें पाये जाने के प्रकरण में भी संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल के आदेश क्रमांक/4/शिका./सेल–1/2014/5061 दिनांक 28.11.2014 द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(4) के अंतर्गत तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोके जाने की शास्ति अधिरोपित करते हुए उनकी निलंबन की अवधि दिनांक 15.09.2014 से 28.11.2014 को सेवा में व्यतीत की गई अवधि समस्त प्रयोजनों के लिये मान्य करते हुए जीवन निर्वाह भत्ते के अतिरिक्त किसी भी अन्य राशि की पात्रता न होने का आदेश पारित किया गया ।

3/– उपरोक्त दोनों प्रकरणों के परीक्षण में निम्नानुसार विसंगतियां परिलक्षित हुई है :–

1. डॉ. डी.एन.गौतम को वर्ष 2014–15 की अवधि में दो माह के अंतराल से पृथक–पृथक दो दण्डादेश के माध्यम से क्रमशः एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से तथा तीन वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोके जाने की शास्ति अधिरोपित की गयी है । इन दोनों आदेशों में एक वर्ष (प्रथम वर्ष) का ओवरलेपिंग इफेक्ट है, अतः उक्त दोनों दण्डादेशों से कुल तीन वेतनवृद्धियों के आहरण को ही रोका जा सकता है । अर्थात् वर्ष 2015, 2016 एवं 2017 की वेतनवृद्धियां ही रोकी जा सकती है । किन्तु इस संबंध में सुस्पष्ट आदेश नहीं होने के कारण भ्रम की स्थिति निर्मित हुई है ।

2. संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल के दण्डादेश दिनांक 28.11.2014 द्वारा डा. डी.एन.गौतम के संबंध में लघुशास्ति का आदेश पारित किया गया है, किन्तु लघुशास्ति का दण्ड होते हुए भी डॉ. गौतम को निलंबन अवधि के लिये जीवन निर्वाह भत्ते के अतिरिक्त अन्य कोई राशि देय न होने संबंधी आदेश पारित किया है जो मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी–6/01/2005/एक/3 दिनांक 13 जनवरी, 2005 के विपरित है । उक्त ज्ञाप में स्पष्टतः उल्लेखित है कि यदि किसी शासकीय सेवक को लघुशास्ति का दण्ड दिया जाता है तो निलंबन अवधि को कार्य अवधि मान्य करते हुए जीवन निर्वाह भत्ते के साथ समायोजन कर देय वेतन–भत्ते की शेष राशि का भुगतान किया जाये ।

....2..

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
सतपुड़ा भवन भोपाल (म.प्र.)

4/— अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा डा. डी.एन.गौतम द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन कमशः दिनांक 02.02.17, 25.11.17 एवं दिनांक 12.01.18 के संबंध में निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जाते है :—

1. वर्ष 2014 में पारित दो दण्डादेशों का कुल प्रभाव तीन वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोके जाने की सीमा तक ही सीमित होगा ।

2. दिनांक 28.11.2014 के आदेश में तीन वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोके जाने के साथ निलंबन अवधि के सम्पूर्ण वेतन भत्ते में जीवन निर्वाह भत्ते की राशि का समायोजन कर शेष राशि का भुगतान किया जाये तथा निलंबन काल की सम्पूर्ण अवधि को कर्तव्य अवधि मान्य किया जाए ।

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)
05
4168
आवक क्र.......

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

हस्ता/-
(अजय नथानियल)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

कमांक/981/450/2017/सत्रह/मेडी-1 भोपाल दिनांक 03/05/2018

प्रतिलिपि :--

1— विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, लो.स्वा.एवं परि. कल्याण विभाग, भोपाल।
2— आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल।
3— संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाऐं, रीवा संभाग, रीवा।
4— उपसंचालक (विज्ञप्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुडा भवन, भोपाल की ओर विभागीय बेबसाईट पर अपलोड हेतु।
5— मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला चिकित्सालय, सतना। कृपया आदेश की एक प्रति डॉ. गौतम को तामील कराने हेतु।
6— डॉ. डी.एन. गौतम, द्वारा— मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सतना।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 1–जी / विज्ञप्त / सेल–2 / 2018 /   भोपाल, दिनांक   /   /2018

// आदेश //

क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग भोपाल द्वारा डॉ0 (श्रीमती) विजय लक्ष्मी नागवंशी, सर्जिकल विशेषज्ञ, राजीव गांधी स्मृति चिकित्सालय, सिरोंज जिला विदिशा का दिनांक 21.12.2016 से 14.05.2017 तक 145 दिवस का लधुकृत अवकाश (मय चिकित्सा प्रमाण–पत्रो सहित) स्वीकृत करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

उक्त प्रस्ताव पर विचारोपरांत अवकश नियम 1977 में निहित प्रावधानानुसार डॉ0 (श्रीमती) विजय लक्ष्मी नागवंशी, सर्जिकल विशेषज्ञ, राजीव गांधी स्मृति चिकित्सालय, सिरोंज जिला विदिशा का दिनांक 21.12.2016 से 14.05.2017 तक 145 दिवस का लधुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

<u>स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित–</u>

(विवेक श्रोत्रिय)
अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 1–जी / विज्ञप्त / सेल–2 / 2018 / 675   भोपाल, दिनांक 4/5/2018

प्रतिलिपिः–   सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
02. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग भोपाल की ओर कार्यालयीन पत्र क्रमांक 10278 दिनांक 13.11.2017 के संदर्भ में सूचनार्थ।
03. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला विदिशा, म0प्र0।
04. जिला कोषालय जिला विदिशा,म0प्र0।
05. डॉ0 (श्रीमती) विजय लक्ष्मी नागवंशी, सर्जिकल विशेषज्ञ, राजीव गांधी स्मृति चिकित्सालय, सिरोंज जिला विदिशा की ओर सूचनार्थ।
06. प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।

4/5/18
अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

क्र./01 जी/विज्ञप्त/सेल–02/ 2018/ भोपाल, दिनांक /04/2018

–:: **आदेश** ::–

डॉ अशीष सेन, चि0अ0,डी0ओ0एम0एस0, जिला चिकित्सालय बड़वानी को उच्च अध्ययन डी0एन0बी0 नैत्र हेतु राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के माध्यम से चौइथराम नेत्रालय, मध्यप्रदेश हेतु चयनित किया गया है।

डॉ आशीष सेन, को उच्च अध्ययन हेतु निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है एवं डी0एन0बी0 अध्ययन हेतु अनुमति प्रदान की जाती है :–

1. *दिनांक 28.4.2018 से 28.09.2018 तक असाधारण अवकाश ।*
2. *29.09.2018 से 30.04.2020 तक अध्ययन अवकाश ।*

अध्ययन अवकाश निम्न शर्तो के अधीन मान्य रहेगा :–

1. *डॉ आशीष सेन, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय बड़वानी, को शेष सेवा काल में अध्ययन अवकाश की पात्रता नहीं होगी।*
2. *अध्ययन अवकाश पर प्रस्थान के पूर्व प्रपत्र 08 एवं 09 में बंधपत्र(शपथपत्र) का निष्पादन करना होगा।*
3. *इस आशय का प्रमाणपत्र देना होगा कि पाठ्यक्रम अवधि में किसी प्रकार की छात्रवृत्ति,वजीफा पारिश्रमिक नहीं प्राप्त किया जा रहा है।*
4. *अध्ययन अवकाश अवधि में मंहगॉई भत्ते के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा।*
5. *पाठ्यक्रम बीच में छोड़ने /अवकाश अवधि समाप्ति उपरांत अपने कर्तव्य स्थल पर उपस्थिति देनी होगी।*

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित

(विवेक श्रोत्रिय)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,म0प्र0

पृ0क्र./01 जी/विज्ञप्त/सेल–05/ 2018/655 भोपाल, दिनांक 28/04/2018

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01 विशेष सहायक मान. मंत्री जी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ,मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल म0प्र0।
02. विशेष सहायक मान. राज्य मंत्री जी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
03. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल,म0प्र0।
04. स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल,म0प्र।
05. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इंदौर, म0प्र0।
06. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बड़वानी ,म0प्र0।
07. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय बड़वानी – डॉ आशीष सेन, चि.अ. के अवकाश खाते एवं सेवा पुस्तिका की पृविष्टी करें, म0प्र0।
08. जिला कोषालय अधिकारी बड़वानी म0प्र0।
09. संबंधित अधिकारी की ओर तत्काल पालनार्थ :–द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी /सी0एस0 जिला बड़वानी म0प्र0।
10. प्रभारी एम0आई0एस0,स्थानीय कार्यालय, भोपाल म0प्र0।
11. आदेश नस्ती।

28/4/18
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,म0प्र0

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 1–जी / विज्ञप्त / सेल–2 / 2018 / भोपाल, दिनांक / / 2018

// आदेश //

डॉ0 मोहन सिंह, प्रभारी संचालक, कार्यालय क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग भोपाल को दिनांक 01.05.2018 से 26.05.2018 तक 26 दिवस के अर्जित अवकश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

डॉ0 मोहन सिंह, प्रभारी संचालक की अवकाश अवधि में डॉ0 अमृत लाल मरावी, संयुक्त संचालक (कार्यालय क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग भोपाल), क्षेत्रीय संचालक के पद के प्रभार में रहेंगे।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित–

(विवेक श्रोत्रिय)
अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 1–जी / विज्ञप्त / सेल–2 / 2018 / 619 भोपाल, दिनांक 25 / 04 / 2018

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
02. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
03. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / सिविल सर्जल सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला भोपाल।
04. जिला कोषालय अधिकारी, भोपाल।
05. संबंधित अधिकारियो की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
06. प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।

अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 1–जी / विज्ञप्त / सेल–2 / 2018 / भोपाल, दिनांक / /2018

// आदेश //

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला टीकमगढ से डॉ0 एस.एम. तिवारी, सेवा निवृत्त, शिशुरोग विशेषज्ञ, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, निवाडी, जिला टीकमगढ के दिनांक 05.02.2014 से 15.11.2015 तक 649 दिवस एवं दिनांक 16.05.2016 से 27.06.2017 तक 408 दिवस कुल 1057 दिवस का अवकश स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

अतः प्राप्त प्रस्ताव पर विचारोपरांत डॉ0 एस.एम. तिवारी, सेवा निवृत्त, शिशुरोग विशेषज्ञ, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, निवाडी, जिला टीकमगढ का मध्य प्रदेश सिविल सेवा (अवकाश नियम 1977) में दिये गये प्रावधानानुसार निम्नानुसार कुल 680 दिवस का अवकाश स्वीकृत किया जाता है:–

1. दिनांक 05.02.2014 से 04.10.2014 तक कुल 240दिवस अर्जित अवकश।
2. दिनांक 05.06.2014 से 24.06.2016 तक कुल 440 दिवस अर्द्वेतन अवकाश।
3. दिनांक 25.06.2016 से 27.06.2017 तक शेष अवधि इनके अवकाश खाते में अवकाश न होने के कारण कुल 368 दिवस को अकार्य दिवस (डायजनान) स्वीकृत किया जाता है। अकार्य दिवस (डायजनान) किसी भी प्रयोजन हेतु मान्य नही होगी।

<u>स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित–</u>

Sd/-

(विवेक श्रोत्रिय)
अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 1–जी / विज्ञप्त / सेल–2 / 2018 / 519 भोपाल, दिनांक 4 / 4 / 2018

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
02. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, सागर संभाग सागर,म0प्र0।
03. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला टीकमगढ, म0प्र0।
04. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला टीकमगढ, म0प्र0।
05. जिला कोषालय जिला टीकमगढ,म0प्र0।
06. डॉ0 एस.एम. तिवारी, सेवा निवृत्त, शिशुरोग विशेषज्ञ, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, निवाडी, जिला टीकमगढम0प्र0 की ओर सूचनार्थ।
07. प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।

Sd/- 4/4/18

अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 1–जी / विज्ञप्त / सेल–2 / 2018 /   भोपाल, दिनांक   /   /2018

// आदेश //

डॉ0 पी0एन0 तेजनकर, ऐच्छिक सेवा निवृत्त ई0एन0टी0 विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय उज्जैन का मध्य प्रदेश सिविल सेवा (अवकाश नियम 1977) में दिये गये प्रावधानानुसार निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:–

01. दिनांक 8.4.1984 से 12.60.84 तक– 66 दिवस का अर्जित अवकाश।
02. दिनांक 13.6.1984 से 11.08.84 तक–60 दिवस का अद्व‌वेतनिक अवकाश।
03. दिनांक 12.08.1984 से 07.04.1985 तक–239 दिवस का अवैतनिक अवकश।

<u>स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित–</u>

हस्ता/–
(विवेक श्रोत्रिय)
अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 1–जी / विज्ञप्त / सेल–2 / 2018 / 445   भोपाल, दिनांक 27/3/2018

प्रतिलिपिः–   सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
02. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, उज्जैन संभाग उज्जैन,म0प्र0।
03. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला उज्जैन, म0प्र0।
04. जिला कोषालय जिला उज्जैन,म0प्र0।
05. डॉ0 पी0एन0 तेजनकर, ऐच्छिक सेवा निवृत्त ई0एन0टी0 विशेषज्ञ, (जिला चिकित्सालय उज्जैन) 70 महाश्वेता नगर, उज्जैन म0प्र0 की ओर सूचनार्थ।
06. प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।

27/3
अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

28 MAR 2018